

पत्रांक- 3/एम-77/2012 सा0प्र0-...8160.../

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ० बी० राजेन्दर,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक-22.5.2024

विषय:- बिहार सरकार के समूह 'क' एवं 'ख' के कर्मियों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के स्थान पर Online e-PAR अभिलिखित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

सरकारी सेवकों को देय प्रोन्नति में गोपनीय अभ्युक्तियों की अनुपलब्धता के कारण होने वाले विलम्ब को रोकने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत विभिन्न परिपत्रों यथा परिपत्र सं०-10570, दिनांक-24.10.2007, परिपत्र संख्या-2108, दिनांक-31.05.2010, एवं परिपत्र सं०-1836, दिनांक-01.02.2013 द्वारा किये गये प्रावधानों को परिपत्र संख्या-8080 दिनांक-03.06.2016 द्वारा निम्नलिखित हद तक संशोधित करने का निदेश परिचारित किया गया है-

"(i) प्रोन्नति पर विचारण के क्रम में विगत 5(पाँच) वर्षों में से मात्र 36(छत्तीस) माहों की ही गोपनीय अभ्युक्ति उपलब्ध रहने पर, उक्त 5(पाँच) वर्षों से पूर्व के संलग्न वर्षों की उपलब्ध गोपनीय अभ्युक्तियों में से, 2(दो) वर्षों की अभ्युक्तियों का अवलोकन कर, उसके आधार पर प्रोन्नति के मामलों पर विचार किया जा सकेगा।

(ii) कार्यरत सरकारी सेवकों को देय प्रोन्नतियों (ए०सी०पी० एवं एम०ए०सी०पी० सहित) पर विचारण के क्रम में उनकी अनुपलब्ध गोपनीय अभ्युक्तियों की स्थिति में विभागीय परिपत्र सं०-1836 दिनांक-01.02.2013 के प्रावधानानुसार वर्ष-2010-11 तक की अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय

Rajendra

अभ्युक्तियों के लिए सम्बंधित सरकारी सेवक के वर्तमान पदस्थापन वाले विभाग/कार्यालय के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/नियंत्री प्राधिकार द्वारा सम्बंधित सरकारी सेवक के कार्य कौशल, चरित्र, आचरण आदि का मूल्यांकन करते हुए, विशेष चारित्री प्रमाण-पत्र दिये जाने संबंधी प्रावधान का विस्तार अगले आदेश तक के लिये किया जाता है। अर्थात् उक्त अवधि के बाद की अवधि के लिए भी विशेष परिस्थिति में विशेष चारित्री प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा, जो अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का पर्याय माना जायेगा। इसके आधार पर संबंधित सरकारी सेवक की प्रोन्नति (ए0सी0पी0 एवं एम0ए0सी0पी0 सहित) हेतु योग्यता का आकलन किया जा सकेगा तथा ऐसे विशेष चारित्री प्रमाण पत्र पूरे सेवाकाल में केवल एक बार दिये जा सकने के प्रतिबंध को भी अगले आदेश तक शिथिल किया जाता है।”

साथ ही उक्त परिपत्र द्वारा यह निदेश भी परिचारित किया गया था कि सरकारी सेवकों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, तत्संबंधी विभागीय परिपत्रों के आलोक में प्रत्येक वर्ष अभिलिखित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उपर्युक्त वर्णित विशेष चारित्री प्रमाण पत्र संबंधी प्रावधान का उपयोग विशेष परिस्थिति में ही करना पड़े।

2. मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-10.10.2022 को सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं (अखिल भारतीय सेवाओं सहित) के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के SPARROW (Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window) System के तहत आलेखन हेतु गृह विभाग, बिहार, पटना के स्थान पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना नोडल (Nodal) विभाग के रूप में कार्य करेगा तथा गृह विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत गठित Project Management Unit (PMU) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत कार्य करेगा।

3. इस क्रम में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-09.12.2022 को सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न विभागों के अन्तर्गत समूह 'क' एवं समूह 'ख' के कर्मियों के PAR का आलेखन का कार्य वित्तीय वर्ष 2022-23 से

Manual नहीं होगा तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के PAR आलेखन हेतु संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारी का Basic Information दिनांक-01.04.2023 से SPARROW System पर generate करते हुए उनका Online e-PAR का ससमय आलेखन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त संदर्भ में अनुश्रवण के क्रम में यह पाया गया कि कतिपय प्रक्रियागत कठिनाईयों के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 से विभिन्न विभागों के अन्तर्गत समूह 'क' एवं समूह 'ख' के कर्मियों के Online e-PAR का आलेखन प्रारम्भ नहीं हो पाया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि सरकारी सेवकों की प्रोन्नति तथा ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति हेतु PAR का ससमय आलेखन सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के Online e-PAR का आलेखन SPARROW System पर वर्ष 2018-19 से ही सफलतापूर्वक किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप वर्ष 2018-19 से बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के संदर्भ में विशेष चारित्री/विशेष वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/विशेष कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अभिलिखित किये जाने की व्यवस्था वर्ष 2018-19 से ही समाप्त कर दी गयी है।

5. अतः सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा बिहार सरकार के समूह 'क' एवं 'ख' के कर्मियों के Online e-PAR के अभिलेखन के संदर्भ में निम्नांकित निर्णय लिया जाता है—

(1) Online e-PAR— (i) विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन समूह 'क' एवं समूह 'ख' के कर्मियों के PAR का अभिलेखन वित्तीय वर्ष 2023-24 से Manual नहीं होगा बल्कि SPARROW System पर Online e-PAR अभिलिखित किया जायेगा। एतदर्थ सभी संबंधित प्रशासी विभागों द्वारा सभी संबंधित कर्मियों का Basic Information दिनांक-01.04.2024 से SPARROW System पर generate करते हुए उनका Online e-PAR का ससमय आलेखन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) Online e-PAR अभिलेखन की व्यवस्था प्रारम्भ किये जाने के फलस्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-3/एम0-77/2012सा0प्र0-8060 दिनांक-03.08.2016 के प्रावधानों के

आलोक में विशेष चारित्री/विशेष वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/विशेष कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अभिलिखित किये जाने की व्यवस्था वर्ष 2022-23 तक ही प्रभावी रहेगी। वर्ष 2023-24 से उक्त व्यवस्था समाप्त हो जायेगी।

(2) Online e-PAR अभिलेखन की प्रक्रिया— SPARROW System के तहत e-PAR के ससमय अभिलेखन हेतु प्रतिवेदित/प्रतिवेदन/समीक्षी/स्वीकरण स्तर पर PAR के e-filing हेतु समय-सीमा निम्नवत् निर्धारित किया जाता है—

(i) प्रशासी विभाग द्वारा संबंधित कर्मी का Basic Data प्रतिवर्ष 30 अप्रील तक प्रतिवेदित पदाधिकारी के NIC द्वारा सृजित व्यक्तिगत E-mail Id पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(ii) प्रतिवेदित पदाधिकारी अपना स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन (Self Appraisal Report) online अभिलिखित कर प्रतिवर्ष 31 मई तक प्रतिवेदक पदाधिकारी को Forward कर देना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत संबंधित पदाधिकारी द्वारा स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन अभिलिखित कर Forward नहीं किये जाने की स्थिति में उक्त निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् विभाग द्वारा पदाधिकारी के E-mail Id पर भेजे गये PAR को अगले प्राधिकार के पास Force forward कर दिया जायेगा।

(iii) प्रतिवेदित पदाधिकारी द्वारा Forward PAR अथवा विभाग द्वारा Force Forward किय गये PAR प्रतिवर्ष 01 जून तक संबंधित प्रतिवेदक पदाधिकारी को NIC के द्वारा सृजित व्यक्तिगत E-Mail Id पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। प्रतिवेदक पदाधिकारी प्रतिवेदित पदाधिकारी से प्राप्त अथवा Force Forward द्वारा उपलब्ध कराये गये PAR पर अपना मंतव्य अभिलेखित कर प्रतिवर्ष 30 जून तक समीक्षी पदाधिकारी को Forward कर देना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत प्रतिवेदक पदाधिकारी द्वारा PAR अभिलिखित कर Forward नहीं किये जाने की स्थिति में उक्त निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् विभाग द्वारा प्रतिवेदक पदाधिकारी

के E-mail Id पर भेजे गये संबंधित PAR को समीक्षी प्राधिकार के पास Force Forward कर दिया जायेगा।

(iv) प्रतिवेदक पदाधिकारी द्वारा Forward PAR अथवा विभाग द्वारा Force Forward किये गये PAR प्रतिवर्ष 1 जुलाई तक संबंधित समीक्षी पदाधिकारी के NIC द्वारा सृजित व्यक्तिगत E-Mail Id पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। समीक्षी पदाधिकारी प्रतिवेदक पदाधिकारी से प्राप्त अथवा Force Forward द्वारा उपलब्ध कराये गये PAR पर अपना मंतव्य अभिलेखित कर प्रतिवर्ष 31 जुलाई तक स्वीकरण पदाधिकारी को Forward कर देना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत समीक्षी पदाधिकारी द्वारा PAR अभिलेखित कर Forward नहीं किये जाने की परिस्थिति में उक्त निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् विभाग द्वारा समीक्षी पदाधिकारी के E-Mail Id पर भेजे गये संबंधित PAR को स्वीकरण प्राधिकार के पास Force Forward कर दिया जायेगा।

(v) समीक्षी पदाधिकारी द्वारा Forward PAR अथवा विभाग द्वारा Force Forward किये गये PAR प्रतिवर्ष 01 अगस्त तक संबंधित स्वीकरण पदाधिकारी के NIC के द्वारा सृजित व्यक्तिगत E-Mail Id पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। स्वीकरण पदाधिकारी, समीक्षी पदाधिकारी से प्राप्त अथवा Force Forward द्वारा उपलब्ध कराये गये PAR पर अपना मंतव्य अभिलेखित कर प्रतिवर्ष 31 अगस्त तक PAR Custodian को Forward कर देना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत स्वीकरण पदाधिकारी द्वारा PAR अभिलेखित कर Forward नहीं किये जाने की स्थिति में निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् विभाग द्वारा उक्त PAR Custodian को Force Forward कर दिया जायेगा।

(vi) विभाग द्वारा प्राप्त PAR को प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक संबंधित पदाधिकारी के NIC के द्वारा सृजित व्यक्तिगत E-Mail Id पर Disclose कर दिया जायेगा।

(vii) क्योंकि यह व्यवस्था वर्ष 2023-24 से ही प्रारम्भ किया जा रहा है, अतः मात्र वर्ष 2023-24 के e-PAR के filing के लिए उक्त प्रावधानित समय-सीमा का पुनर्निर्धारण संबंधित प्रशासी विभागों द्वारा अपनी प्रशासनिक आवश्यकता के अनुरूप किया जा सकेगा। वर्ष 2024-25 एवं उसके आगे के वर्षों के e-PAR के filing के लिए उक्त प्रावधानित समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) Online e-PAR में अभ्युक्ति अंकित नहीं किये जाने पर निर्णय की प्रक्रिया— उपर्युक्त निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत e-PAR का e-filing किसी भी स्तर पर नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित प्रशासी विभाग में Force Forward द्वारा प्राप्त e-PAR को निम्नरूपेण स्वीकृत मानते हुए संधारित कर दिया जायेगा—

(i) प्रतिवेदित पदाधिकारी द्वारा ससमय PAR अभिलिखित नहीं किये जाने की स्थिति में प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण प्राधिकार द्वारा अंकित मंतव्य को ही अन्तिम रूप से स्वीकृत करते हुए संधारित कर दिया जायेगा।

(ii) प्रतिवेदित पदाधिकारी द्वारा PAR अभिलिखित न किये जाने की स्थिति में यदि प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण प्राधिकार द्वारा भी कोई मंतव्य अंकित नहीं किया जाता है तो उक्त परिस्थिति में Force Forward द्वारा प्राप्त PAR को ग्रेडिंग/अभ्युक्ति "औसत" मानते हुए संधारित कर दिया जायेगा।

(iii) यदि प्रतिवेदित पदाधिकारी द्वारा ससमय PAR अभिलिखित कर दिया जाता है परन्तु प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण प्राधिकार द्वारा कोई मंतव्य अंकित नहीं किया जाता है तो उक्त स्थिति में प्रतिवेदित पदाधिकारी द्वारा अभिलिखित स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन को ही ग्रेडिंग/अभ्युक्ति "बहुत अच्छा" मानते हुए संधारित कर दिया जायेगा।

(4) Offline PAR— माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/माननीय समापति, बिहार विधान परिषद/माननीय नेता विरोधी दल, बिहार विधान

सभा/माननीय नेता विरोधी दल, बिहार विधान परिषद्/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अन्य महानुभाव/अध्यक्ष, लोकायुक्त/बिहार लोक सेवा आयोग एवं भारत सरकार/भारत सरकार के उपक्रम/निगम/निकाय इत्यादि में पदस्थापित/ प्रतिनियुक्त कर्मियों का PAR Offline अभिलिखित किया जायेगा।

(5) Online e-PAR हेतु प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण पदाधिकारी का निर्धारण— प्रत्येक प्रशासी विभाग द्वारा उनके नियंत्रणाधीन सेवा/संवर्ग में कार्यरत कर्मियों के संदर्भ में उनके प्रतिवेदक, समीक्षी एवं स्वीकरण पदाधिकारी का निर्धारण अलग आदेश से किया जायेगा।

(6) Online e-PAR में की गयी बेंच मार्किंग के विरुद्ध अभ्यावेदन देने की प्रक्रिया— Online e-PAR के अभिलेखन के उपरान्त संबंधित कर्मों को उसका अन्तिम प्रकटीकरण (Disclosure) अथवा Online e-PAR में किये गये grading से असंतुष्ट होने पर अग्रेतर कार्रवाई निम्नरूप में की जा सकेगी—

(i) Online e-PAR स्वीकरण प्राधिकार के स्तर से अभिलेखित होने के उपरान्त पूर्ण PAR को विभाग के स्तर से प्रतिवेदित पदाधिकारी को उनसे मंतव्य प्राप्त करने के निमित्त 15 दिनों के अन्दर Disclose (प्रकट) किया जायेगा। प्रतिवेदित पदाधिकारी PAR Disclose होने के 15 दिनों के अन्दर अपने मंतव्य से विभाग को अवगत करायेंगे। निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत मंतव्य अप्राप्त रहने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि प्रतिवेदित पदाधिकारी PAR में अंकित अभ्युक्ति से सहमत है तथा PAR को पूर्ण मानते हुए इसे अभिलेख स्वरूप संधारित कर दिया जायेगा।

(ii) PAR में अंकित अभ्युक्ति से असहमति की स्थिति में प्रतिवेदित पदाधिकारी प्रकटीकरण (Disclosure) के 15 दिनों के अन्दर अपना अभ्यावेदन (Representation) प्रशासी विभाग को समर्पित करेंगे। प्रतिवेदित पदाधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन पर एक माह के अन्दर प्रशासी विभाग द्वारा प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण

प्राधिकार से मंतव्य प्राप्त कर अभ्यावेदन पर लिये गये निर्णय से प्रतिवेदित पदाधिकारी को अवगत करा दिया जायेगा।

(iii) अभ्यावेदन पर विभाग द्वारा लिये गये निर्णय से असहमति की स्थिति में प्रतिवेदित पदाधिकारी 15 दिनों के अन्दर अभ्यावेदन Referral Board के समक्ष समर्पित कर सकेंगे अन्यथा यह समझा जायेगा कि प्रतिवेदित पदाधिकारी विभागीय निर्णय से सहमत हैं। रेफरल बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

(iv) प्रमाण-पत्र निर्गत करने का प्रावधान- निम्नलिखित परिस्थितियों में भी PAR Generate होगा जिसमें स्थिति के अनुसार निम्नलिखित आशय का प्रमाण पत्र दिया जायेगा-

(क) एन0आर0सी0 (No Report Certificate)-

- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के लिए;
- निलम्बन अवधि के लिए; तथा
- PAR अभिलेखन की अवधि 90 दिनों से कम होने पर।

(ख) प्रशिक्षण अवधि के लिए

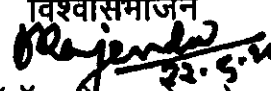
(ग) छुट्टी अवधि के लिए

(7) Online e-PAR के संदर्भ में Referral Board का गठन- प्रतिवेदित कर्मी द्वारा Online e-PAR में किये गये grading के विरुद्ध समर्पित अभ्यावेदन पर संबंधित प्रतिवेदक, समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकार के मंतव्य के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त लिए गये अन्तिम निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में प्रतिवेदित पदाधिकारी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर विचार कर निर्णय लेने हेतु प्रत्येक प्रशासी विभाग द्वारा रेफरल बोर्ड (Referral Board) का गठन निम्नरूपेण किया जायेगा-

- (i) प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/ - अध्यक्ष
प्रधान सचिव
- (ii) प्रशासी विभाग के वरीयतम विशेष सचिव/ - सदस्य
अपर सचिव,
- (iii) प्रशासी विभाग के वरीय प्रभारी पदाधिकारी - सदस्य-सह-संयोजक
चारित्र्यी कोषांग,

6. पूर्व के प्रावधानों का संशोधन— बिहार सरकार के समूह 'क' एवं 'ख' के कर्मियों के चारित्री/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अभिलेखन से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी अनुदेश उक्त हद तक संशोधित किया जाता है।

7. अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए वर्ष 2023-24 से ससमय Online e-PAR का अभिलेखन सुनिश्चित कराया जाय जिससे कि PAR अनुपलब्धता के कारण सरकारी सेवकों को नियमित प्रोन्नति/ उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार/ ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति का निर्णय लेने में अनावश्यक कठिनाई नहीं हो।

विश्वासभाजन

(डॉ० राजेन्द्र)
सरकार के प्रधान सचिव